

परिशिष्ट-1

पंशन/गेच्युटी प्रकरण निराकरण न होने के कारण

क्र	वनमंडल का नाम	वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या	सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का नाम	सेवा निवृत्ति दिनांक	पी.पी.ओ. (पंशन)	गेच्युटी	अन्य भुगतान	
1	उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल	02	श्री गिरिराज दुबे, वनपाल	31.07.2025	-	-	-	श्री गिरिराज दुबे वनपाल दिनांक 31.07.2025 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो चुके हैं। वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सामान्य के पत्र क्रमांक/स्था/ 9325 दि. 24.10.2006 से श्री गिरिराज दुबे वनरक्षक को वनरक्षक के पद पर नियमित किये जाने बाबत जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक/ स्था/185 दि. 13.04.1999 निरस्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में वनरक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक/ इन्स्पू.पी./ 20472/ 2012 दायर की गई। जिसके फलस्वरूप वनरक्षक द्वारा आदेश शीट दिनांक 06.12.2012 से स्टे प्राप्त किया गया जिससे वनरक्षक को नियमितकरण हेतु जारी कारण बताओ सूचना पत्र वर्तमान में लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के लंबित होने एवं संबंधित को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का निराकरण नहीं होने के कारण पंशन, गेच्युटी भुगतान की कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने के उपरान्त शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।
2			श्री राजकुमार आर्य उपवनक्षेत्रपाल	31.12.2025	-	-	-	श्री राजकुमार आर्य उप वनक्षेत्रपाल दिनांक 31.12.2025 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो चुके हैं। वनमंडलाधिकारी पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल के पत्र क्रमांक/स्था/2254 दि. 16.10.2006 से श्री राजकुमार आर्य वनरक्षक को वनरक्षक के पद पर नियमित किये जाने बाबत जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक/स्था/82 दि. 16.04.1999 निरस्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र के

3	सामाजिक वाणिजी वृत्त बैतूल	01	श्री रमानिवास तिवारी वनपाल	30.06.2025	-	-	<p>परिषद में वनरक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक इन्स्यू.पी./21500/2012 दायर की गई। जिसके फलस्वरूप वनरक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश शीट दिनांक 20.12.2012 से स्टे प्राप्त किया गया जिससे वनरक्षक को नियमितकरण हेतु जारी कारण बताओ सूचना पत्र वर्तमान में लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के लंबित होने एवं संबंधित को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का निराकरण नहीं होने के कारण पेंशन, ग्रेज्युटी भुगतान की कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने के उपरान्त शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>श्री रमानिवास तिवारी वनपाल दिनांक 30.06.2025 को अपनी अधिवार्धिकी आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो चुके हैं। वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सामान्य के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ स्या/9331 दि. 24.10.2006 से श्री रमानिवास तिवारी वनरक्षक को वनरक्षक के पद पर नियमित किये जाने बाबत जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक/ स्या. 185 दि. 13.04.1999 निरस्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में वनरक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक/ इन्स्यू.पी./ 20780/2012 दायर की गई। जिसके फलस्वरूप वनरक्षक द्वारा आदेश शीट दिनांक 14.12.2012 से स्टे प्राप्त किया गया जिससे वनरक्षक को नियमितकरण हेतु जारी कारण बताओ सूचना पत्र वर्तमान में लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के लंबित होने एवं संबंधित को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का निराकरण नहीं होने के कारण पेंशन, ग्रेज्युटी भुगतान की कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने के उपरान्त शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।</p>
---	----------------------------------	----	-------------------------------	------------	---	---	---

अनुपात अधिकारी
वन विभाग शाखा-९

अनुपात अधिकारी
वन विभाग शाखा-९

वन सरक्षक
वन वृत्त बैतूल